

जिला परिषद कार्यालय, समस्तीपुर।
अल्पकालीन निविदा सूचना

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7342, दिनांक 20.12.2012 एवं विभागीय पत्रांक 5100, दिनांक 24.08.2012 के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण हेतु K-Yan के क्रय के पश्चात प्रति प्रखंड लगभग 50,000.00 (पचास हजार) की अवशेष राशि से निम्नलिखित सामानों की आपूर्ति की जानी है। इस निमित्त मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इसके लिए निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में दिनांक 15.11.2013 के 03.00 (तीन) बजे अपराह्न तक जिला परिषद कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 15.11.2013 के 04.00 (चार) बजे अपराह्न में निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

क्रय की जानेवाली सामग्रियों की विवरणी / कॉन्फ़ीग्रेशन निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	विवरणी	कॉन्फ़ीग्रेशन
1	डेस्कटॉप	Pre-loaded Operating System-Windows 7 Professional , Chipset-intel Q 67 express chipset, Processor- intel core i3 2xxx, system Memory-single/dual channel DDR2 RAM 1333 MHZ, Expandable to 32 GB, with 4 DIMM Slots, Video Graphics- Integrated, Hard Disk Drive-320 GB SATA Parts, DVD Writer-Read 22X internal network Controller-Intergrated 10/100/1000 Mbps, Ethernet Controller, I/O port Rear-4 to 6 USB port, 1 RJ45, 1 Line in, 1 Line out, Mic in 1 Serial port, 1 Parallel port, 1-VGM, 1 DVD 175/2, I/O Port 1 Audio & 1 Mic port 2 USB Expansion slots -2 to 4 (PCI/PCI Express), Audio-Integrated 6 Channel Audio sub system, Keyboard & Mouse -USB, Monitor-TFT-LCD Monitor 15" or above. (Desktop Computers – HCL/HP/Lenovo/Dell)
2	प्रिन्टर	HP Laserjet Pro-P1566
3	स्कैनर	HP Scanjet G3110
4	इन्टरनेट	Tata Photon+/BSNL Broad Band/BSNL 3G data card or any modem with speed or 7.2 kbps or above
5	यू०पी०एस०	Luminous/Microtek double battery, Backup 30 Min. (Approx)

निविदा की शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे।
 - उप विकास सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, समस्तीपुर के पदनाम से 25000/- (पच्चीस हजार) रू० का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा जो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान शाखा, समस्तीपुर में भुगतान होगा।

- (ii) फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम से कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा आयकर संख्या (पैन नं०) देना होगा। विगत तीन वर्ष का अद्यतन ऑडिट एण्ड वायलेन्स सीट के साथ कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 10,00,000 (दस लाख) रुपये टर्नओवर का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
- (iii) फर्म को सेवा कर एवं बिहार Shop and Establishment Act के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।
- (iv) नॉटरी पब्लिक से शपथ पत्र देना होगा की निविदादाता कभी काली सूची में नहीं रहें हो।
- (v) आपूर्ति की जानेवाली सामग्री से संबंधित विशिष्टियों के लिफलेट प्रस्तुत करना होगा।
- (vi) वर्णित सामानों के अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण के साथ देना होगा।
- (vii) आवंटित कार्य के Sub-contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub-contracting यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत की राशि को जब्त करते हुए फर्म के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

वित्तीय निविदा की शर्तें :-

1. तकनीकी निविदा में सफल अनुभव निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में सामग्री का नाम विशिष्टिकरण दर सभी करें सहित देना होगा।
3. सामग्री ब्रॉण्डेड कम्पनी का होना चाहिए।
4. सामग्री का दर D.G.S. & D. की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। D.G.S. & D. के द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
5. चयनित विक्रेता को सामग्री का परिवहन व्यय स्वयं करना होगा।
6. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री के रख-रखाव पर आपूर्तिकर्ता स्वयं ससमय ध्यान देते रहेंगे।
7. अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर गुणवत्तायुक्त सामान संबंधित स्थानों पर आपूर्ति करना होगा।
8. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतये राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।
9. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रति दिन विलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार) रुपये की दर से संबंधित फर्म के विपन्न से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत की राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।
10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार एवं रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित होगा एवं किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
11. समस्तीपुर जिला के **website : <http://samastipur.bih.nic.in>** पर भी इसे देखा जा सकता है।



उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, समस्तीपुर।